

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 40/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 2021

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 34/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 449 (अ) दिनांक 29 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

उक्त सारणी में, क्रम संख्या 2 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को, 20 अगस्त, 2021 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	1507 10 00	सभी वस्तुएं	7.5%
4.	1507 90 10	सभी वस्तुएं	37.5%
5.	1512 11 10	सभी वस्तुएं	7.5%
6.	1512 19 10	सभी वस्तुएं	37.5%";

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/166/2021-टीओ (टीआरयू-1)- सीबीईसी]

(गौरव सिंह)  
उप सचिव, भारत सरकार